कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्री सुदन राम, प्रधानाचार्य, राउमावि खेड़ला, सूरजगढ जिला झुन्झुनूं, का स्थानान्तरण राउमावि इन्द्रोल जिला बाड़मेर किया गया था जिसके विरूद्ध सुदन राम द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 580/2021 सुदन राम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई ।

अपील संख्या 580/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.02.2021 द्वारा अपीलार्थी श्री सुदन राम को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में 15 दिवस के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार 15 दिवस के भीतर एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने एवं ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए। अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक विभागीय आदेश दिनांक 04.01.2021 का क्रियान्वयन माननीय अधिकरण द्वारा अपने आगामी आदेश तक स्थगित रखा गया।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन/समायोजन राउमावि निमा, राजगढ जिला चूरू/राउमावि खुडी, राजगढ जिला चूरू (नवक्रमोन्नत) अथवा राउमावि फोगा, सरदारशहर जिला चूरू किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी की प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उनका पदस्थापन स्थान संशोधित करते हुए उनका समायोजन राउमावि फोगा, भृर्तहरि, सरदारशहर जिला चूरू किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/सुदन राम/580/2021/207 **दिनांकः** 24|02|2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू/जोधपुर संभाग, जोधपुर, चूरू।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, चूरू/बाडमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक चूरू/बाडमेर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री सुदन राम, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राउमावि इन्द्रोल जिला बाड़मेर को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)